

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क रीडर/2023/ 1145
प्रार्थीगण

रावताराम 2 तेजेन्द्र पिसरान
खेमारां 3 जेठीदेवी पत्नी
खेमारां जाति जाट निवासी
गोदारासर (बेरीवाला तला)
तहसील बाडमेर ग्रामीण व
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रेखाराम 2 बगताराम 3 बाबूलाल पिसरान जालाराम 4 पारू पत्नी
जालाराम 5 जीयाराम 6 लिखमाराम पिसरान उम्मेदाराम 7 जोराराम 8
गोमाराम 9 टीकमाराम 10 हरीराम 11 चिमाराम पिसरान तुलछाराम 12
हड़मानराम 13 चन्द्रप्रकाश 14 जोगाराम पिसरान बालाराम 15 चेनी पत्नी
बालाराम 16 भूराराम 17 रेखाराम पिसरान देरामाराम 18 पेमाराम पुत्र
उदाराम 19 पदमो पत्नी उदाराम 20 धर्मीदेवी पुत्री पीराराम जाति जाट
निवासी गोदारासर (बेरीवाला तला) 21 जालाराम पुत्र नाथाराम 22 दमीदेवी
पतनी नाथाराम 23 नरेन्द्र पुत्र गिरधारीराम 24 नवलकिशोर 25 पूराराम
पिसरान गोधूराम 26 पोकरराम 27 मूलाराम 28 मेहराराम पिसरान नाथाराम
29 मोमताराम पुत्र गोधूराम 30 सुगणी पत्नी गिरधारीराम 31 उतमाराम पुत्र
अर्जुनराम 32 खेमारां पुत्र चूनाराम 33 जेठाराम पुत्र अर्जुनराम 34 धनाराम
पुत्र अमराराम 35 पेमाराम पुत्र उदाराम 36 पुरखाराम पुत्र अमराराम 37
वीरो पत्नी उदाराम 38 मोबताराम पुत्र हरजीराम 39 खेताराम पुत्र पदमाराम
40 किशनाराम 41 धनाराम 42 नीम्बाराम 43 पनाराम 44 मंगनाराम 45
उगराराम पिसरान दानाराम 46 कंवराराम पुत्र गंगाराम 47 चिमूदेवी पत्नी
दानाराम 48 जवाराराम 49 मेघाराम 50 हुकमाराम पिसरान दानाराम 51
हरजीराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला तहसील बाडमेर
ग्रामीण जिला बाडमेर 52 तहसीदार बाडमेर ग्रामीण।

दिनांक - 31/03/23


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 354/2022

दिनांक- 29/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गोदारासर पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण व
जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1216 रकबा 16.8349 हैक्टर, खसरा संख्या 1217 रकबा 0.0486
हैक्टर व खसरा संख्या 1218 रकबा 0.0971 हैक्टर कुल रकबा 16.9806 हैक्टर भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन
व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

दिनांक- 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1146-49

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रावताराम पुत्र खेमारां वगैराह जाति जाट निवासी गोदारासर (बेरीवाला तला) तहसील बाडमेर ग्रामीण व
जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी रेखाराम पुत्र जालाराम वगैराह जाति जाट निवासी गोदारासर (बेरीवाला तला) तहसील बाडमेर
ग्रामीण व जिला बाडमेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर